24/4/18 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/5/18 को पेश हो।

1/5/18

पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधि०वक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते आरक्ष
आगामी पेशी दिनांक 29.5.18
पेश हो

29/5/18 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता बहस पेश नहीं करना चाहते हैं बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1.6.18 को पेश हो।

1/6/18 पत्रावली पेश हुई। वादी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया। शामिल रहे राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री बनाई हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या–190 सन् 2017

ताराचन्द पुत्र श्री रघुवीर, जाति जाट, निवासी रामसरानारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—वादी—

बनाम

1 रघुवीर पुत्र स्व0 श्री हंसराज
2 मीरा पुत्री श्री रघुवीर
3 सरोज पुत्री श्री रघुवीर
जाति जाट, निवासी रामसरानारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 राजस्थान, स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़–

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए घोषणा

उपस्थित–
1. श्री श्योप्रकाश जाखड–अधिवक्ता–वादीगण

निर्णय दिनांकः– 1.6.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद घोषणात्मक एवं खाता विभाजन हेतु दिनांक 06.06.2017 को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या–1 के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 20 एचएमएच के खाता संख्या–185/178 सम्वत 2070–2073 तादादी 4.301 हैक्टेयर व चक 21 एच.एम.एच. के खाता संख्या–68/58 सम्वत 2071–2074 तादादी 2.277 हैक्टेयर कुल तादादी 6.578 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, का वाद पत्र की मद नं. 3 में अंकित विवरण अनुसार घोषणा कर खाता विभाजन किया जावे।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 ने स्वैच्छिक रूप से पारिवारिक सद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से दिनांक 14.07.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी नं. 4 स्टेट के विरूद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। इसलिए तलबी की आवश्यकता नहीं होने से तलबी नहीं करवाई गई।

विद्वान अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 ने स्वैच्छिक रूप से पारिवारिक संद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से दिनांक 14.07.2017 को राजीनाम पेश किया है जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे। अपने तर्क की पुष्टि में वाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र वादी, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 चक 21 एमएचएच (ए) खाता संख्या 68/58, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 20 एच.एम.एच. खाता संख्या 185/178 व राजीनामा दिनांक 14.07.2017 व माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 1998 पेज 615, एआईआर 1976 पेज 807, आरबीजे 1994 पेज 134, 135 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के गहन अध्ययन करने एवं माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त पर मनन करने उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र का निस्तारण करने से सहमति दी है तथा राजीनामा में प्रतिवादिया संख्या–2,3 ने कोई हिस्सा नहीं लेना स्वीकार किया है। वाद वादी मुताबिक राजीनामा काबिल अन्तिम डिक्री है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा दिनांक 14.07.2017 अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक नं. 20 एच.एम.एच. की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 185/178 की 4.301 हैक्टयर मय गै.मु. खाला रास्ता, व चक नं. 21 एच.एम.एच. (ए) की जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 68/58 की 2.277 हैक्टयर भूमि में से वादी 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 के साथ खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नं. 2 व 3 कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। इसलिए इनका कोई हक व हिस्सा नहीं है। इसी अनुसार बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर वादी व प्रतिवादी नं. 1 के नाम बहिव दर्ज की जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिहं पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
(राजस्व) हनुमानगढ
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः—सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

ीठासीन अधिकारी का नाम :—सुरेन्द्र सिहं पुरोहित, आर.ए.एस.

ाजस्व वाद संख्याः—190 सन् 2017

ताराचन्द पुत्र श्री रघुवीर, जाति जाट, निवासी रामसरानारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——वादी——

बनाम

1. रघुवीर पुत्र स्व0 श्री हंसराज
2. मीरा पुत्री श्री रघुवीर
3. सरोज पुत्री श्री रघुवीर
   जाति जाट, निवासी रामसरानारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान, स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़—

——प्रतिवादीगण——

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा।
प्रकरण संख्या 190 सन् 2017 निर्णय दिनांक 1.6.18

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादी श्री श्योप्रकाश जाखड़ की उपस्थिति में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा दिनांक 14.07.2017 अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक नं. 20 एच.एम.एच. की जमाबंदी सम्वत् 2070—73 के खाता संख्या 185/178 की 4.301 हैक्टयर मय गै.मु. खाला रास्ता, व चक नं. 21 एच.एम.एच. (ए) की जमाबंदी सम्वत् 2071—74 के खाता संख्या 68/58 की 2.277 हैक्टयर भूमि में से वादी 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 के साथ खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नं. 2 व 3 कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। इसलिए इनका कोई हक व हिस्सा नहीं है। इसी अनुसार बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर वादी व प्रतिवादी नं. 1 के नाम बहिब दर्ज की जावे।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी—प्रतिवादीगण स्वंय अपना—अपना वहन करेंगें। आज दिनांक 1.6.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner